भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2158

दिनांक 12 दिसंबर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

चिकित्सा कर्मचारियों की कमी

†2158. श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंतः

श्री सुरेश कुमार शेटकरः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान महानगरों के सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा कर्मचारियों, आवश्यक दवाइयों तथा सामग्रियों की कमी के संबंध में कई शिकायतें/मामले प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकारी अस्पतालों को गंभीर कमी का सामना करना पड़ रहा है जबकि निजी कॉर्पोरेट अस्पताल उच्च रोगी भार का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करते हैं और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया के साथ तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने महानगरों के सरकारी अस्पतालों में विशेषकर मामलों की अधिकतम संख्या के दौरान डॉक्टरों, नर्सों और चिकित्सा आपूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या तत्काल कदम उठाए हैं;

(घ) क्या सरकारी अस्पतालों में कमी का कारण बनने वाले प्रणालीगत अंतराल की जांच के लिए सरकार द्वारा स्वतंत्र लेखापरीक्षा/जांच आयोजित की गई है और यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार किस तरह से देश भर में सुधार लागू करने की योजना बना रही है ताकि कमी को पूरा किया जा सके, मरीज़ों की देखभाल में सुधार किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकारी अस्पताल, मरीज़ों की बढ़ती संख्या को संभालने में कॉर्पोरेट अस्पतालों की कुशलता के बराबर हों?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से **(ङ)** 'जन स्वास्थ्य' और 'अस्पताल' राज्य के विषय हैं। राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों के सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त चिकित्सा कर्मचारी, आवश्यक दवाएं और सामग्री उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करती हैं।

सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की वहनीयता और सुलभता के कारण समाज के सभी वर्गों से भारी संख्या में मरीज़ आते हैं। अधिकांश निजी अस्पतालों की तुलना में सरकारी अस्पतालों में मरीज़ों की संख्या काफी अधिक है। अस्पतालों की कार्यात्मक आवश्यकताओं के आधार पर, पर्याप्त चिकित्सा कर्मचारी, आवश्यक दवाएं और सामग्री उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं में निरंतर सुधार किया जाता है।

महानगरों के सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा कर्मचारियों, आवश्यक दवाओं और सामग्रियों की कमी से संबंधित शिकायतों/मामलों की जानकारी केंद्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है। जहां तक दिल्ली के केंद्रीय सरकारी अस्पतालों, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्वेद संस्थान और डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और संबद्ध अस्पतालों का संबंध है, वहां विभिन्न विभागों में डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और चिकित्सा सामग्री चौबीसों घंटे मरीजों की सेवा के लिए उपलब्ध हैं। ये अस्पताल सुविधाओं में वृद्धि, कर्मचारियों की तैनाती और प्रक्रियाओं में सुधार के माध्यम से मरीजों की संख्या को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। साथ ही, समय-समय पर निरीक्षण के माध्यम से इन अस्पतालों के कामकाज की समीक्षा की जाती है।

केंद्र सरकार के अस्पतालों/संस्थानों में सेवा प्रदायगी को सुदृढ़ करने और कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(i) संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, नर्सिंग अधिकारी भर्ती सामान्य पात्रता परीक्षा, सामान्य भर्ती परीक्षा और नियमानुसार संविदा नियुक्ति के माध्यम से नियमित भर्ती और रिक्त पदों को भरा जाना।

(ii) बिस्तरों की क्षमता बढ़ाना और वार्डों, गहन चिकित्सा इकाइयों, ऑपरेशन थिएटरों और निदान सेवाओं का नवीनीकरण/उन्नयन।

(iii) उच्च रोगी भार को कुशलतापूर्वक हैंडल करने के लिए ओपीडी टोकनाइजेशन, डिजिटल कतार प्रणाली और आपातकालीन ट्राइएज सहित रोगी प्रवाह प्रबंधन प्रथाओं को अपनाना।

इसके अलावा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके समग्र संसाधन क्षेत्र के भीतर प्रस्तुत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं के आधार पर उनकी स्वास्थ्य परिचर्या प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। एनएचएम के तहत, मानव संसाधनों की कमी को दूर करने के लिए, डॉक्टरों को प्रोत्साहित करने हेतु प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहन और मानदेय के प्रकार **अनुबंध** में दिए गए हैं।

दिनांक 12.12.2025 को उत्तर के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2158 के उत्तर के भाग (क) से (ड़) में संदर्भित **अनुबंध**

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत मानव संसाधनों की कमी को दूर करने के लिए डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने हेतु प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहनों और मानदेय के प्रकार

(i) ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में सेवा देने वाले विशेषज्ञ डॉक्टरों को दुर्गम क्षेत्र भत्ता दिया जाता है।

(ii) ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में विशेषज्ञों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञों/ आपातकालीन प्रसूति देखभाल (ईएमओसी) प्रशिक्षित, बाल रोग विशेषज्ञों और एनेस्थेटिस्ट/ जीवन रक्षक एनेस्थीसिया कौशल (एलएसएएस) प्रशिक्षित डॉक्टरों को मानदेय भी प्रदान किया जाता है।

(iii) समय पर प्रसवपूर्व देखभाल जांच और रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करने, किशोरावस्था प्रजनन और यौन स्वास्थ्य कार्यकलापों के संचालन के लिए डॉक्टरों और सहायक नर्स मिडवाइफ (एएनएम) के लिए प्रोत्साहन राशि।

(iv) राज्यों को विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए बातचीत द्वारा तय वेतन की पेशकश करने की भी अनुमति है, जिसमें "यू कोट, वी पे" जैसी कार्यनीतियों में लचीलापन शामिल है।

(v) एनएचएम के तहत दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अधिमान्य प्रवेश और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास व्यवस्था में सुधार जैसे गैर-मौद्रिक प्रोत्साहन भी शुरू किए गए हैं।

(vi) विशेषज्ञों की कमी को दूर करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रबंधन (एनएचएम) के तहत डॉक्टरों के बहु-कौशल विकास को बढ़ावा दिया जाता है। स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाने के लिए मौजूदा मानव संसाधनों का कौशल उन्नयन भी एनएचएम के अंतर्गत एक प्रमुख कार्यनीति है।

*****